जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 156 वीं बैठक दिनांक 16.12.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति शुचि शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमति नर्बदा इन्दोरिया, विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेम शंकर,, उप नगर नियोजक (बीपीसी–एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
7. श्री अनंत देव टांक, उप नगर नियोजक जोन–1, जविप्रा जयपुर।
8. श्रीमती शशिकला शर्मा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–
एजेण्डा संख्या:–1
156 / 16.12.2010

विषय:– बीपीसी (ले आउट प्लान) 155 वीं बैठक दिनांक 12.11.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:–2
156 / 16.12.2010 (जोन–1)

विषय:– भू. सं. 7, 8, 65 एवं 66 कुल क्षेत्रफल 1532.32 वर्ग गज योजना जैम एन्क्लेव मालवीय नगर, जयपुर का पुर्नगठन अनुमोदन के संबंध में (बीपीसी एलपी की 155वीं बैठक दिनांक 12.11.2010 में लिये गये निर्णय में संशोधन के संबंध में)।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 155वीं दिनांक 12.11.10 में प्रस्तुत किया गया था जिसके कार्यवाही विवरण में पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक में उल्लेखन में त्रुटी रह गई थी। कार्यवाही विवरण में सही सैटबैक का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रकरण को पुनः बीपीसी (एलपी) की बैठक

दिनांक 16.12.10 में प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2010 के अनुसार 1500 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र के अनुसार निम्न सैटबैक स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः–

सैटबैकः–

सामने	– 9 मीटर
साईड–I	–4.5 मीटर
साईड–II	–4.5 मीटर
पीछे	–4.5 मीटर

अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुसार देय होगें।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है इसलिये राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:–3

156/16.12.2010 (जोन–5)

विषयः–दी कृष्णा हाउसिंग को–आपरेटिव सोसाय्टी लिमिटेड की योजना शान्ति नगर के नियमन से शेष रहे भूखण्डों के नियमन के सबंध में। (पूर्व की बीपीसी एलपी की 155वीं बैठक दिनांक 12.11.10 में लिये गये निर्णय में सशोधन बावत)।

उपरोक्त प्रकरण भवन मानचित्र की समिति की बैठक क्रमांक 155 दिनांक 12.11.10 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया इस भूखण्ड के सबंध में लिये गये निर्णय के स्थान पर पूर्व की बैठक के एजेण्डा संख्या 9 के सैटबैक का ही अंकन हो गया था। इस त्रटि के सबंध में उपायुक्त जोन द्वारा अवगत कराया गया इसलिये प्रकरण को इस बैठक (16.12.10) में पुनः प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय निम्नानुसार हैः–

1. भूखण्ड संख्या 243–ए से 245 तक की भूमि में सबंधित राजस्व रिकार्ड में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है इसलिये इन भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।
2. योजना में इस योजना के नियमन के दौरान सवाईचक भूमि की राशि इस योजना की नियमन दर में शामिल की जा चुकी है इसलिये सवाई चक भूमि से प्रस्तावित भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 243–डी, 243–ई व 245–डी व पिछवाडे वाले क्षेत्र को 90–बी की कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
4. योजना के मध्य में से मानसरोवर को जाने वाली 80'–0" चौडी सडक व भूखण्ड संख्या 31 डी के मध्य स्थित खाली भूमि में पार्क दर्शाये जावे।
5. सवाई चक भूमि से प्रस्तावित भूखण्ड भूखण्ड संख्या 166–ए, 167–ए, 168–ए, 169–ए, 170–ए एवं 166–बी से 166–ई को स्वीकृत किया जावे।

6. प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 240 से 245 यदि पुरानी सदस्यता सूची मे स्थित हो तो इन भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-4

156/16.12.2010 (जोन-1)

विषयः-श्री महेन्द्र कुमार शर्मा भूखण्ड संख्या बी-19 सुभाष सिंधं कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड जयपुर की योजना अम्बे नगर के क्रॉस किये गये भूखण्ड को स्वीकृत किये जाने के सबंध में।

एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। योजना मानचित्र अनुमोदन के समय जिन भूखण्डों में वाणिज्यिक गतिविधियां थी उन भूखण्डों को क्रॉस किया हुआ है। समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से मौके पर स्थित निर्माण के फोटो मांगे जावें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि मौके पर वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है या नहीं।

एजेण्डा आइटम सं:-5

156/16.12.2010 (जोन-5)

विषयः-नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना साकेत नगर के भूखण्ड संख्या 13 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सबंध में।

एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, मौके पर भूखण्ड पर निर्माण होने तथा राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 24.12.07 की सभी शर्तों की पूर्ति होने के कारण भूखण्ड संख्या 13 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने की अभिशंसा करते हुये राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-6

156/16.12.2010 (जोन-5)

विषयः-शिवा को-आपरेटिव हाउसिंग लिमिटेड जयपुर की योजना स्कीम नम्बर 1, (शिवा कोलोनी) के भूखण्ड संख्या 3 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

शिवा को-आपरेटिव हाउसिंग लिमिटेड जयपुर की योजना स्कीम नम्बर 1, (शिवा कोलोनी) के भूखण्ड संख्या 3 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में एजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। मौके पर स्थित निर्माण के फोटो न होने के कारण विचार विमर्श उपरांत मौके पर स्थित निर्माण होने के सबंध में प्रार्थी से फोटो लिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-7

156/16.12.2010 (जोन-5)

विषयः-सहकारी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना भगवती नगर-प्रथम के भूखण्ड संख्या 144 से 148 व 153 से 158 को सुविधा से मुक्त किये जाने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में इन भूखण्डों का उल्लेख है या नही के सबंध में जांच होने तक प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:–8

156 / 16.12.2010 (जोन–5)

विषयः--श्री रामप्रताप सौंकरिया के भूखण्ड संख्या–50 भगवती नगर–II करतारपुरा, दी कृष्णा को. ओ. हाउसिंग सोसायटी के सैटबैक में शिथिलता के सबंध में।

योजना मानचित्र भवन मानचित्र समिति (एलपी) की बैठक दिनांक 22.04.95 में स्वीकृत किया गया था। इसलिये योजना मानचित्र में तत्समय के भवन विनियम के अनुसार सैटबैक दर्शाये गये थे। योजना में तत्समय प्रभावित विनियमों में सभी भूखण्डों में साईड सैटबैक 7'–6" दर्शाये हुये हैं, इसलिये भूखण्ड के सैटबैक बदले जाने से इस योजना के सभी भूखण्डों में सैटबैक प्रभावित होते हैं इसलिये विचार विमर्श पश्चात् भूखण्डों के साईड सैटबैक नहीं बदले जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:–9

156 / 16.12.2010 (जोन–5)

विषयः--श्री रमेश चन्द एवं श्रीमती प्रेम देवी के शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना डी.पी. कोलोनी के भूखण्ड संख्या 5 व 6 के पुर्नगठन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 5 व 6 की लीजडीड जारी की हुई है इसलिये समिति ने विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. 5 व 6 का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1554.54 वर्ग गज होने के कारण पुर्नगठन किये जाने की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित सैटबैक निम्नानुसार देय होगें:–

<u>सैटबैक</u>

सामने	– 9 मीटर
साईड–I	–4.5 मीटर
साईड–II	–4.5 मीटर
पीछे	–4.5 मीटर

अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुसार देय होगें।

एजेण्डा आइटम सं:–10

156 / 16.12.2010 (जोन–6)

विषय–शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राजा प्रताप नगर के भूखण्ड संख्या 133 से 149 तक के भूखण्डों की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। योजना पूर्व में स्वीकृत योजना है इस योजना में खसरा नं. 808 व खसरा नं. 809 की भूमि की 90बी नहीं होने के कारण इन खसरों की भूमि में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 133 से 149 को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में खसरा नं. 808 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 809 रकबा 0.05 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की भूमि की 90बी हो चुकी है इसलिये इस भूमि में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 133 से 149 कुल 17 भूखण्डों को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा आइटम सं:–11

156 / 16.12.2010 (जोन–6)

विषयः– मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना 4–सी माचेडा के भूखण्ड संख्या सी–558 से सी–565 के नियमन करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि इनमें से कुछ भूखण्डों की लीजडीड पूर्व में जारी की हुई है तथा अब एक ही भूखण्ड की लीजडीड जारी की जानी है। योजना पूर्व में एस ब्लॉक के नाम से जेडएलसी में अनुमोदित गई थी जबकि यह सी–ब्लॉक के नाम है इसलिये सी–ब्लॉक के भूखण्ड संख्या सी–558 से सी–565 Past Facto स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:–12

156 / 16.12.2010 (जोन–7)

विषयः–माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना गोम्स डिफेन्स में भूखण्ड संख्या 247 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 246 से 248 सृजित करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। सहकारी समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के भूखण्ड संख्या 247 का ही उल्लेख है। इसलिये विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपविभाजन शुल्क लिया जाकर योजना में भूखण्ड संख्या 247 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 246 से 248 का मानचित्र में अंकन किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:–13

156 / 16.12.2010 (जोन–7)

विषयः– संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आफिसर्स कैम्पस की दुकान संख्या 12 व 13 के नियमन किये जाने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। बैठक में प्रार्थी श्री सौभाग्य सिंह शेखावत भी उपस्थित हुये। श्री शेखावत ने बताया कि उनके पास दुकान संख्या 12 एव 13 के गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे हैं। उपायुक्त जोन ने बैठक में समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि मौके पर पार्क विकसित हो चुका है अतः दुकानें स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। श्री सौभाग्य सिंह ने समिति को निवेदन किया कि उन्हें अन्य किसी उपलब्ध स्थान पर दुकानें आवंटित की जावे। समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अब मौके पर पार्क विकसित हो चुका है एवं इस प्रकार दुकान आवंटन का जविप्रा में कोई प्रावधान नहीं है, अतः दुकान संख्या 12 एव 13 को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा आइटम सं:–14

156 / 16.12.2010 (जोन–7)

विषयः–इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं. 9 योजना भृगु नगर अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या 100, 101, 103, 106, 110, 111–ए एवं 112 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। भूखण्ड संख्या 100, 101, 103, 106, 110, 111–ए एवं 112 में ही मौके पर निर्माण होने तथा राज्य सरकार से सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के सबंध में आदेश दिनांक 24.12.07 की शर्तों की पूर्ति करने के कारण भूखण्ड संख्या 100, 101, 103, 106, 110, 111–ए एवं 112 का सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने की अभिशंसा के साथ राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

<u>एजेण्डा आइटम सं:–15</u>
156/16.12.2010 (जोन–9)

विषयः–मैसर्स ब्लयू हैवन बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक भूखण्ड संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 22 एयरपोर्ट एन्कलेव का पुर्नगठन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रार्थी के भूखण्ड एयरपोर्ट के सामने है इसलिये प्रार्थी से एयरपोर्ट ऑथोरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था प्रार्थी ने एयरपोर्ट अथोरिटी का अपापत्ति प्रमाण पत्र क्र./140सी/2010/337/1786 दिनांक 30.08.2010 प्रस्तुत किया है। विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या बी–15 से बी–22 के भूखण्डों को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3275.89 वर्ग गज (2738.87 वर्ग मीटर) है। इसलिये राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सटबैक निम्नानुसार होगेः–

<u>सैटबैक</u>

सामने	–12 मीटर
साईड I	--9 मीटर
साईड II	–9 मीटर
पीछे	–9 मीटर

अन्य पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियम 2010 अनुसार देय होगें।

<u>अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।</u>

<u>अति. एजेण्डा संख्या–1</u>
156/16.12.2010 (जोन–12)

विषयः– मैसर्स साहिल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स की योजना सचिवालय सरोवर ग्राम सुन्दरिया बास खसरा नं. 1/2, 2/3, 2/2, 2/237 के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण में शामिल 247 ग्रामों में शामिल होने से पूर्व जिलाधीश द्वारा रूपान्तरण आदेशों के सबंध में इन ग्रामों की भूमि में योजना मानचित्र अनुमोदन के सबंध में जारी आदेशों के अर्न्तगत इस प्रकरण की जांच किये जाने तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अति. एजेण्डा संख्या–2</u>
156/16.12.2010 (जोन–4)

विषय :– छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजन नन्द विहार के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तो के साथ योजना अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. योजना के भूखण्ड सख्या 15 व 19 के मध्य में सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में सडक दर्शाई हुई थी। इसलिये इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
2. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 3 की चौडाई 40' है मौके पर कब्जे में 46' चौडाई है इसलिये भूखण्ड की चौडाई 40'–0'' रखते हुये ही लीजडीड व साईड प्लान जारी किया जावे।
3. योजना में भूखण्ड संख्या 1 व 17 के मध्य से एक एल टी लाईन गुजर रही है इसलिये एलटी, हटने के पश्चात् ही भूखण्डों का नियमन किया जावे।
4. रेल्वे लाईन सीमा के पश्चात् सेक्टर प्लान मे प्रस्तावित 80'–0'' चौडी सडक से प्रभावित भूखण्ड संख्या 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25 आंशिक या संपूर्ण को अस्वीकृत किया जावे।
5. नियमन योग्य भूखण्डों में सहकारी समिति द्वारा दिये गये साईट प्लान के अनुसार सडक की चौडाई रखी जावे।
6. सेक्टर प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या 6 से 9 के सामने की सडक की चौडाई 40' की जावे।

<u>अति. एजेण्डा संख्या–3</u>
156 / 16.12.2010 (जोन–14)

विषय :– श्री रामनारायण हरबक्श पुत्र श्री हरबक्श व अन्य ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा की भूमि संक्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक भू–पट्टी विलोपित करने के सबंध में।

श्री रामनारायण हरबक्श पुत्र श्री हरबक्श व अन्य ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा की भूमि सेक्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक भू–पट्टी से प्रभावित है । प्रार्थी ने इस वाणिज्यिक भू–पट्टी को विलोपित करने के सबंध में प्राधिकरण में आवेदन किया है तथा प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को भी दिनांक 16.11.2010 को प्रतिवेदन किया था। प्रमुख शासन सचिव, महोदय द्वारा इस पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। जिसके तहत निदेशक आयोजना ने पत्रावली बैठक में मंगवाई गई तथा प्रकरण पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। सेक्टर प्लान में 80' या 80' चौडी सडकों में वाणिज्यिक भू–पट्टी के सबंध में निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया गया था। इसलिये बीपीसी (एलपी) वाणिज्यिक भू–पट्टी को विलोपित किये जाने में सक्षम न होने के कारण वाणिज्यिक भू–पट्टी को विलोपित किये जाने के सबंध में प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक के निर्णय हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

23/12/10

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / /2010 / डी– 789
दिनांक :– 23/12/10

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

23/12/10

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।